F- 07-08
F- 07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु-560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU –560 037

वर्ग अनुमोदन सं. 1271 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment–cum–Renewal of Type Approval No.: 1271

विषय/Sub: एविएशन टरबाइन फ्यूल (के-50)
Aviation Turbine Fuel (K-50)

यह घोषित किया जाता है कि **मेसर्स ऑइल एंड नैच्युरल गैस कॉर्पोरेशन,** हजिरा प्लांट, सूरत, गुजरात- 394 518 द्वारा विकसित तथा उत्पादित " **एविएशन टरबाइन फ्यूल, केरोसिन टाइप (के-50)**" को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1271, दिनांक-27 जुलाई 2007 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1271 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1271/1आर दिनांक-12 जुलाई 2012 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक था।

*This is to state that the **"Aviation Turbine Fuel, Kerosene Type (K-50) "**, indigenously developed and produced by **M/s Oil and Natural Gas Corporation**, Hazira Plant Surat , Gujarat – 394 518, was issued with Type Approval Number: 1271 vide Ref No.: CEMILAC/5070/TA-1271, dated: 27th July 2007. Subsequently it was renewed vide Ref. No: CEMILAC/5070/TA–1271/1R, dated: 12th July 2012 with validity up to 30th June 2017.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 दिसंबर 2017** से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा **30 नवंबर 2022** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन (03) महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (एफ एंड एफ- एफओएल),** सेमिलैक, डीआरडीओ, द्वारा एचएएल (एफ एंड एफ), बेंगलूरु – 560 017 से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. **01st December 2017** based on the satisfactory performance feedback and is valid up to **30th November 2022** unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request **RCMA (F&F-FOL)**, CEMILAC, DRDO, C/o HAL (F&F) , Bengaluru-560017 , **three (03) months** before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1271, दिनांक- 27 जुलाई 2007 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के **अनुच्छेद पांच (05)** में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-1271, dated: 27th July 2007 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र **(सेमिलैक)**, बेंगलूरु –560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification **(CEMILAC)**, Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी, और पूर्णतः लागू होगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA–1271/2R

दिनांक / Date: 07 December 2017

फैक्स सं./ Fax No: 080–25230856

Pjaypal

(पी . जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)